15

वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति

भारत के संविधान का लक्ष्य जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करना है। इस उद्देश्य हेतु संविधान न्यायालयों की व्यवस्था प्रदान करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर है, जिसमें प्रत्येक राज्य अथवा राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। उत्तर–पूर्व के सात राज्यों के लिए केवल एक ही उच्च न्यायालय गुवाहटी में है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत कई अधीनस्थ न्यायालयों की शृंखला है। न्यायालयों के पास विवादों को निपटाने के लिए सुपरिभाषित और मान्य व्यवस्था है। न्यायालयों के पास विवाद सुलझाने के लिए औपचारिक नियम हैं और उनके निर्णय बाध्यकारी हैं। यह व्यवस्था काफी तकनीकी और औपचारिक है, लेकिन मुकदमे सदैव संतोषजनक परिणाम नहीं देते। पैसे और समय की दृष्टि से यह महंगी प्रक्रिया है। इन कारणों के वशीभूत मुकदमें में लिप्त पक्ष अपने विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को खोजते हैं।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप–

- वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति की आवश्यकता की गंभीरता समझ पाएंगे;
- वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के कई तरीकों की सूची बना सकेंगे;
- वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति को अपनाने से होने वाले लाभों, तरीकों तथा विधियों का वर्णन कर सकेंगे;
- वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति से संबधित कई कानूनी पदों की व्याख्या कर सकेंगे;
- वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति (एडीआर) की सस्ते और तेज न्याय में भूमिका को समझ सकेंगे;
- 'एडीआर' अपना कर हल किए जा सकने वाले विवादों की प्रकृति पर चर्चा कर सकेंगे; तथा
- विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 (संशोधित 1994) के विभिन्न प्रावधानों को जान सकेंगे।

15.1 वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति की आवश्यकता

यह भली भांति ज्ञात है कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था काफी महंगी और विलंबकारी है। विवाद से जुड़ी पार्टियों (पक्षों) को सालों इंतजार करना पड़ता है। मुकदमें की इस महंगी और लंबी प्रक्रिया ने अदालतों द्वारा अपनाई जा रही न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम लोगों के विश्वास को कम किया है। न्यायिक व्यवस्था की इन कमजोरियों ने विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक उपचारों को जन्म दिया है। एडीआर सस्ता और तेज न्याय प्रदान करता है, जिसके कारण विवाद ग्रस्त पार्टियां विवाद सुलझाने के लिए इस पद्धति को प्राथमिकता देते हैं।

15.2 वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति (एडीआर)

प्राचीन भारत में मध्यस्थता अति लोकप्रिय एवं प्रचलित थी। पंचायतों द्वारा दिए गए निर्णय पंचाट कहलाते थे और बाध्यकारी होते थे। एडीआर अदालतों में मुकदमेबाजी का विकल्प हैं। एडीआर प्रक्रियाएं निर्णय लेने की प्रक्रियाएं हैं, जिनमें मुकदमा और हिंसा का स्थान नहीं है। भारत में वैकल्पिक व्यवस्था मधयस्थता, समझौता, बीच-बचाव और बातचीत के रूप में उपलब्ध है।

पूरी दुनियां में न्यायाधीशों, वकीलों और विवाद में फंसे पक्षों की राय एडीआर अपनाने के पक्ष में बदल रही है। मध्यस्थता करने वाली संस्थाएं भीड़- भाड़ वाली अदालती व्यवस्था से बाहर तेज, सस्ता और सहमति पर आधारित समाधान प्रदान करती हैं। एडीआर संबंधित पक्षों में वार्तालाप को बढ़ावा देती है और उन्हें विवाद के पीछे छुपे वास्तविक मुद्दों को हल करने योग्य बनाती है।

उपभोक्ता शिकायतें, पारिवारिक विवाद, निर्माण विवाद, व्यापार विवाद जैसे अनेक विवादों को एडीआर के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसको लगभग ऐसे सभी विवादों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें दीवानी मुकदमों के रूप में अदालतों में ले जाया जाता है। जब किस अदालत में दीवानी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो यह औपचारिक प्रक्रिया से गुजरता है, जिसका संचालन एडवोकेट करते हैं और अदालती प्रबंध की देख-रेख में संबंधित पक्ष अदालती आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। मुकदमों का परिणाम अनिश्चित होता है। मुकदमें का निर्णय होने के बाद अपील की जा सकती है, जो मुकदमे के फैसले को लागू करने में और देरी करता है।

चित्र 15.1

पाठगत प्रश्न 15.1 और 15.2

1. वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति की आवश्यकता कीजिए।
2. वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति को पारिभाषित कीजिए।
3. कुछ ऐसे विवादों की पहचान कीजिए, जिनको एडीआर के माध्यम से निपटाया जा सकता है।

15.3 वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति (एडीआर) के लाभ तथा प्रक्रिया

मुकदमेबाजी महंगा होता है और न्यायालय से अंतिम फैसला पाने में काफी समय लगता है। दुर्भाग्यवश मुकदमेबाजी से संबंधों को नुकसान पहुंचता है और इससे मुकदमों में फंसे लोगों पर भावनात्मक दवाब होता है। किसी दीवानी मुकदमें में एक पार्टी होना थकाऊ और उबाऊ होता है। अदालती फीस, वकीलों की फीस, अदालत की कार्रवाई एवं आदेशकी प्रतियां प्राप्त करने की फीस में काफी खर्च होता है। किसी केस में फंसे व्यक्ति को केस की कार्रवाई के सिलसिले में कई बार अदालत आना पड़ता है, जिससे यात्रा पर खर्च होता है, अदालत में समय लगाना पड़ता है और कई अन्य खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी ओर इसके कुछ लाभ भी हैं। जहां कानूनी व्याख्या की आवश्यकता होती है, वहां कानूनी अधिकार निर्धारित किए जा सकते हैं। एडीआर संबंधित पक्षों को संबंध खराब किए बिना विवाद हल करने का अवसर प्रदान करती है। अत: कई विवाद जैसे वस्तुओं के व्यापार में गुणवत्ता, वाणिज्यिक संपति का किराया, उपभोक्ता विवाद और कई छोटे विाद एडीआर के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं।

एडीआर की कार्रवाई लचीली होती है। पार्टियों (पक्षों) को उपयुक्त कानूनों को चुनने की स्वतंत्रता होती है। इनको किसी भी तरीके और पार्टियों की सहमति से किसी भी भाषा में संचालित किया जा सकता है, जिससे खर्च में कमी आती है। कोई कोर्ट फीस नहीं होती। कार्रवाई और रिपोर्टों की प्रतियां लेने में कुछ खर्च नहीं करना होता।

कोई निष्पक्ष तीसरी पार्टी (पक्ष) मामले को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए सेवाएं दे सकती है। पार्टियां अपनी सुविधा अनुसार मीटिंग के लिए स्थान और तिथि चुन सकती हैं। पार्टियां ऐसी निष्पक्ष तीसरी पार्टी को दी जाने वाली फीस भी निर्धारित कर सकती हैं। तीसरी पार्टी को आपसी सहमति से चुना जाता है।

मीटिंग में की गई बातों को गुप्त रखा जाता है, जबकि अदालती कार्रवाई में एक पक्ष जीतता और दूसरा हारता है, लेकिन सफल एडीआर में मध्यस्थता अथवा समझौते से दोनों पार्टियां जीतती हैं। इससे पार्टियों के बीच संवाद और संबंध बेहतर होते हैं। नीचे कुछ उदाहरण हैं। यह पहचान करने के लिए दर्शाए गए हैं कि कौन-सा विवाद या मुकदमा दीवानी है, जिसको एडीआर के माध्यम से परस्पर सुलझाया जा सकता है।

a) ठंडे पेय की किसी बोतल को एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक पर बेचना;

b) जहां परिवार के सदस्यों में संपति के बंटवारे का केस दर्ज कर दिया गया हो अथवा लंबित पड़ा हो;

c) जब ठेकेदार निर्माण कार्य में घटिया सामग्री प्रयोग कर रहा हो, परंतु ऊंची कीमत वसूल रहा हो;

d) किसी से पैसा वापस लेने का मामला; और

e) सांझेदारी समाप्त होने के मामले में संपतियों का बंटवारा और अधिकार निश्चित करना इत्यादि।

पाठगत प्रश्न 15.3

1. प्राचीन भारत में एडीआर का कौन-सा रूप प्रचलित था?
2. एडीआर का विकसित रूप क्या है?
3. अभियोजन (मुकदमेबाजी) शब्द का क्या अर्थ है?
4. ऐसे केसों की सूची बनाइए, जिन्हें एडीआर के माध्यम से हल किया जा सकता है।
5. एडीआर के मुख्य लाभों की सूची बनाइए।
6. गुवाहटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य हैं?

15.4 एडीआर की विभिन्न तकनीकें, उनकी प्रक्रियाएं तथा लोगों को उनके लाभ

एडीआर के मुख्य तकनीकें निम्नलिखित हैं–

A. विवाचन

B. समझौता

C. बीच-बचाव (मध्यस्थता)

D. मुकदमे से पूर्व निपटारा/ मध्यस्थता,

E. बातचीत/(संधि-) वार्ता

F. लोक अदालत

G. विवाचन मध्यस्थता

H. मेडोला

I. छोटा मुकदमा

चित्र 15.2: कार्यालय, सेन्टर फार अलटारनेटिव डिस्पुयट, रिजोलुशन, नई दिल्ली

A. विवाचन

जब दो या उससे अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत हो जाएं कि उनके बीच विवाद को कानूनी बाध्यता के साथ एक अधिक निष्पक्ष लोगों द्वारा न्यायिक ढंग से साक्ष्य रिकार्ड करने के बाद सुलझा/ निपटा दिया जाए, तो ऐसे समझौते को विवाचन कहते हैं। जब किसी विवाद के उभरने पर उसे ऐसे लोगों के समक्ष रख दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को विवाचना कहते हैं और लिए गए निर्णय को पंचाट कहते है। विवाचन प्रक्रिया को संचारित करने वाले व्यक्ति को विवाचक कहा जाता है। विवाचक को विवाद में फंसी पार्टियां नियुक्त करती हैं और विवाचक की नियुक्ति पर किसी विाद के मामले में न्यायालय को विवाचक नियुक्त करने के लिए कहा जा सकता है। जब विवाचकों की संख्या एक से अधिक हो तो मुख्य विवाचक को अंपायर कहा जाता है, जो कार्रवाई संचालित करने के लिए जिम्मेवार होता है। विवाचकों की संख्या केवल विषम संख्या में ही हो सकती है। ऐसे मामलों में निर्णय विवाचकों के बहुमत से होता है।

विवाचन को पारंपरिक मुकदमेबाजी से पहले वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह प्राय: मुकदमेबाजी से कम खर्चीली है। यह लचीले समय और साधारण कानूनों के माध्यम से तेजी से हल प्रदान करती है। न्यायालय दैनिक सुनवाई के बोझ से लदे हुए हैं। लेकिन विवाचक केवल उसी कार्रवाई को संचालित करते हैं, जो संबंधित पार्टियां उनको सौंपती है।

विवाचन वो लाभ प्रदान करते हैं जो न्यायालयों में मुकदमें प्रदान नहीं कर सकते। कई मामलों में एक बड़ा लाभ यह होता है कि विवाचक अथवा विवाचक ट्रिब्यूनल विवाद सुलझाने में निपुर्ण होता है, इसलिए कार्रवाई को वकीलों अथवा अन्य प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना तेजी से सुलझाया जा सकता है। व्यापार में विवाद, संपतियों के किराये, संपति का बंटवारा, फर्म सांझेदारी का बंटवारा और विभिन्न उपभोक्ता विवादों को इस तरीके से हल किया जा सकता है।

विवाचकों का पंचाट पार्टियों पर बाध्यकारी होता हैं और अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। पंचाट के विरुद्ध अपील नहीं होती।

वास्तव में सभी विवाद विवाचन से हल किए जा सकते हैं, जब तक कि वे कानून द्वारा प्रतिबंधि त न हो। निम्नलिखित केस विवाचन द्वारा हल नहीं किए जा सकते।

a) आपराधिक प्रश्नों से जुड़े मामले या सार्वजनिक कानूनों से जुड़े मामले

b) वैवाहिक मामले जैसे तलाक, गुजारा भत्ता अथवा बच्चे पर अधिकार

c) दीवालिया होने के मामले–जैसे किसी व्यकित को दीवालिया घोषित करना

d) किसी कंपनी को भंग करना

e) आयु से जुड़े विवाद

B. समझौता

'समझौता' एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कोई तीसरी पार्टी विवाद में फंसी पार्टियों को समझौते से अपना विवाद हल करने में सहायता करती है। पार्टियों की सहायता करने वाले को मध्यस्थ कहा जाता है। मध्यस्थ की नियुक्ति विवादग्रस्त दोनों पार्टियों की सहमति से की जाती है। एक दीवानी अदालत भी विवाद से संबंधित दोनों पार्टियों को किसी मध्यस्थ के पास भेज सकती है। एक मध्यस्थ विवाद के मुद्दों पर अपनी राय देकर विवाद सुलझाने के लिए समझौते पर पहुंचने में सहायता कर सकता है। समझौता मध्यस्थ की सहायता से दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति होती है। मध्यस्थ विवाद पर कोई निर्णय उनके सामने नहीं लेता। मध्यस्थ द्वारा कोई साक्ष्य रिकार्ड नहीं किया जाता और न ही कोई तर्क सुना जाता है। दोनों पार्टियां अपने दृष्टिकोण पर चर्चा कर सकती हैं और मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई गुप्त रखी जाती है और अदालत के समक्ष कार्यवाही पर उसका कोई असर नहीं होता।

न्यायालय में मुकदमे अथवा विवाचन की तुलना में समझौता एक स्वैच्छिक और अबाध्यकारी प्रक्रिया है। विवाचन और न्यायालय में अभियोजन (मुकदमा) में पार्टियों की केस के फैसले में अथवा विवाचक द्वारा पंचाट तैयार करने में कोई भूमिका नहीं होती। मध्यस्थ निष्ठापूर्वक दोनों पार्टियों को आपसी सहमति से समझौता करने का आग्रह करता है।

C. मध्यस्थता

मध्यस्थता, एक स्वतंत्र तीसरे व्यक्ति की सहायता से विवाद सुलझाने की प्रक्रिया है, जिसमें तीसरा व्यक्ति बातचीत से हल पर पहुंचने में सहायता करता है। मध्यस्थता, किसी विवाद में तीसरी पार्टी का स्वीकृत हस्तक्षेप है जिसको निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रक्रिया में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को मध्यस्थ कहते हैं।

समझौता प्रक्रिया की भांति मध्यस्थता प्रक्रिया भी स्वैच्छिक है और विवाद हल करने का एक अन्य तरीका है।

मध्यस्थता की कार्रवाई गुप्त होती है और यह विवाद के हल अथवा समझौते तक पहुंचती है।

मध्यस्थ पार्टियों को विवाद हल करने में एक सहमति तक पहुंचने में सहायता करता है। वह विवाद के गुण-दोषों पर अपनी राय व्यक्त नहीं करता। दूसरी ओर एक समझौता करवाने वाला विवाद के गुण-दोषों पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है।

दोनों ही प्रक्रियाओं में पार्टियों को अपना विवाद सुलझाने तथा किसी सहमति पर पहुंचने के लिए एक तीसरी पार्टी को नियुक्त किया जाता है। उसका कार्य केवल गतिरोध को समाप्त करना तथा

पार्टियों को परस्पर सहमति से समझौते तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। मध्यस्थ पार्टियों के बीच विवाद का कोई निर्णय नहीं देता।

D. अभियोजन से पूर्व मध्यस्थता

इस प्रक्रिया को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 द्वारा 2002 में हुए संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था। इसको मुकदमे से पूर्व विवाद हल करने के लिए लागू किया गया था। अभियोजन से पूर्व मध्यस्थता अदालतों द्वारा अपने सामने लाए गए अभियोजन पर कार्यवाही शुरू करने से पहले विवाद हल करने का प्रयास है। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 एक ऐसा कानून है जो दीवानी मुकदमों को सुनने और हल करने की प्रक्रिया को शासित करता है।

दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 की एक विशेष भूमिका है, विशेषत: पारिवारिक सदस्यों के मामले में, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवाद को बिना कड़वाहट और मुकदमें के हल करना है।

E. बातचीत

बातचीत विवाद हल करने हेतु एडीआर का एक अन्य रूप है। पार्टियां किसी कार्रवाई पर सहमत हो जाती हैं और लाभ उठाने के लिए सौदेबाजी करती हैं। कभी-कभी वे एक सृजनात्मक विकल्प को अपनाने का प्रयास करते हैं जो उनके आपसी हितों का ध्यान रखता है। इसके आपसी लाभों के कारण लोग लगभग जीवन के सभी पहलुओं पर घर से अदालत तक बातचीत करते हैं। विवाद हल करने का यह सबसे अधिक प्रचलित तरीका है और इसके अधिकांश विवाद हल हो जाते हैं परंतु यदि बातचीत असफल हो जाती है तो समाधान तक पहुंचने के लिए किसी तीसरी निष्पक्ष पार्टी की मदद लेनी चाहिए। बातचीत द्वारा सौदेबाजी के तरीके में दोनों पक्ष सहयोग करते हैं और ऐसा समाधान तलाशते हैं जो दोनों के लिए लाभकारी हो। जब कोई बातचीत सफल हो जाती है तो दोनों पार्टियां एक निर्णायक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें समझौते की शर्तें और नियम लिखी होती हैं।

हमारी कानून प्रक्रिया भी आपराधिक मामलों को सुलझाने का प्रावधान करती हैं। हालांकि अदालतों ऐसे आपराधिक मामलों में समझौते की अनुमति देती हैं जो बहुत हल्के अपराध के होते हैं। यह मामले आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 320 द्वारा संचालित होते हैं और इस प्रावधान के अंतर्गत सुलझाए मुकदमों को संयोजित (कंपाऊंडिड) कहा जाता है। इस कोड में कंपाउंड किए जा सकने वाले केसों की श्रेणी निश्चित की गई है। आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 आपराधिक मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है तो भी आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 265A के अंतर्गत एक अन्य प्रावधान प्ली बार्गेनिंग के रूप में उपलब्ध है। इस प्रावधान के अंतर्गत यदि अभियुक्त अपने पर लगाए गए आरोप को स्वीकार करने का इच्छुक होता है और समझौता करने की इच्छा दर्शाता है तो उसे अदालत की सहमति से इसकी अनुमति दी जा सकती है।

यह सारे प्रावधान अदालतों का कार्य बोझ कम करने तथा मुकदमों को शीघ्र से निपटाने के लिए किए गए हैं।

F. लोक अदालत

लोक अदालत एडीआर का एक अन्य रूप है जिसको विशेष क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को देखकर निर्मित किया गया है। 1982 में गुजरात के लोक अदालत के कैंप शुरू किए गए थे और अब उन्हें पूरे भारत में लगाया जाता है। लोक अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित पड़े छोटे- छोटे केसों के भरी बोझ को कम करना है। न्याय की अपेक्षा करने वालों की गिनती लाखों में है और अदालतों पर निरंतर बढ़ते मुकदमों के दृष्टिगत उन्हें निपटाना भारी बोझ बनता जा रहा है।

लोक अदालतों सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से आयोजित की जाती हैं जिसकी देखभाल न्यायपालिका करती है। भारत में लोक अदालतों ने मुकदमों को सुलझाने हेतु समझौता प्रक्रिया शुरू की है। लोक अदालतों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत वैधानिक मान्यता है। विधिक सेवाएं प्राधिकरण की धारा 19 में लोक अदालतों को मान्यता देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इसके पास विवाद से जुड़ी पार्टियों के बीच फैसला अथवा समझौता करवाने का क्षेत्राधिकार है। लोक अदालत के प्रत्येक फैसले को किसी दीवानी अदालत का निर्णय माना जाता है अथवा जैसा केस हो उसके अनुसार किसी अन्य दीवानी अदालत का आदेश माना जाता है। जिन मामलों में लोक अदालत द्वारा फैसला अथवा समझौता करवाया जाता है, उन मामलों में दी गई अदालती फीस वापस कर दी जाती है। अदालत द्वारा मध्यस्थता सेल को प्रेषित मामलों के सुलझने पर भी यही स्थिति होती है।

लोक अदालतें विकल्प विवाद निपटारा पद्धति (एडीआर) में सबसे लोकप्रिय तकनीक है। लोक अदालतें कम खर्च पर तेजी से न्याय प्रदान कर रही हैं। लोक अदालतों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत वैधानिक मान्यता प्राप्त है।

G. मध्यस्थ विवाचन

एडीआर की एक अन्य तकनीक मध्यस्थ विवाचन है। जब कोई मामला मेल मिलाप समझौते से नहीं निपटता तो दोनों पक्ष किसी तीसरे व्यक्ति को विवाद निपटाने के लिए अधिकृत करते हैं और तीसरे व्यक्ति का निर्णय दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होता है। मध्यस्थ विवाचन एक ऐसा तरीका है, जो आर्बिट्रेशन एक्ट द्वारा संचालित नहीं है तथा इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। मामले को गैर सरकारी ढंग से सौंपा जाता है और अधिकृत तीसरे व्यक्ति का निर्णय बाध्यकारी होता है।

H. मेडोला

मेडोला एडीआर की एक अन्य तकनीक है। जब विवाचक के लिए किसी निर्णय पर पहुंचना असंभव हो जाता है तो मेडोला प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा तरीका है जिसमें बातचीत करने वाला व्यक्ति विवाचक की जगह लेता है और बिना पक्षपात के काम करता है। ऐसा व्यक्ति विवाद से जुड़ी पार्टियों से चर्चा और प्रयास करने के दौरान किसी बीच के रास्ते पर पहुंचने का प्रयास करता है। यह विवाद से जुड़ी पार्टियों के लिए बाध्यकारी होता है।

I. (मिनी ट्रायल) मुकमदे की छोटी कार्यवाही

मुकदमे की छोटी कार्यवाही एडीआर तकनीक का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। यह सरकारी मुकदमे से अलग होता है। विवाद से जुड़ी पार्टियां एक स्वतंत्र व्यक्ति को चुनती हैं। तब पार्टियां अपना विवाद उसके समक्ष रखती हैं और अपने पक्ष में तर्क और साक्ष्य देती हैं। निष्पक्ष स्वतंत्र व्यक्ति दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक निष्कर्ष निकालता है। विवाद से जुड़ी पार्टियां विश्वास करती हैं कि ऐसा व्यक्ति निष्पक्ष, ईमानदार और स्वतंत्र है और वह दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अपना विचार रखता है। विवाद से जुड़ी दोनों पार्टियां उसके निर्णय पर सहमत हो जाती हैं।

15.4.1 भारत में एडीआर का महत्व

भारत में विकल्प विवाद निपटारा पद्धति का बहुत महत्व है। यहां अदालतों के पास बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं, जिनके निपटारे के लिए काफी समय चाहिए क्योंकि अदालतों की प्रक्रिया बहुत लंबी है।

यह बहुत खर्चीली भी है। 25 जनवरी, 2002 को तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने संसद को बताया कि विभिन्न अदालतों में अंतिम निर्णय के लिए 2 करोड़ 34 मुकदमें लंबित पड़े हैं। विकल्प विवाद निपटारा पद्धति की उनके शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यकता है।

अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या में वृद्धि, मुकदमे की कार्यवाही में देरी, बहुत महंगे अभियोजन इत्यादि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप आर्बिट्रेशन एंड कोंसीलेशन एक्ट 1996 लागू किया गया।

भारत में निरक्षर और गरीब लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो लंबे, तकनीकी और अदालतों की महंगी व्यवस्था का निर्वहण नहीं कर सकते और एडीआर उनके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है।

वर्तमान समय में अदालतों को छोटे मुकदमों के भारी बोझ से मुक्त करने की जरूरत है ताकि वे अपना समय समाज के लिए खतरनाक अपराधियों तथा जघन्य अपराधों के मुकदमों पर लगा सकें।

यह आवश्यक है कि एक विद्यार्थी को मुकदमा छोड़कर विकल्प विवाद निपटारा पद्धति अपनाने के लाभ का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक को ज्ञात होना चाहिए कि अदालतों का समय व्यर्थ करने से अदालतों के खर्च बढ़ जाते हैं। इन खर्चों को सरकार देश के नागरिकों द्वारा दिए गए टैक्सों के पैसे उठाती है।

विवाद को शांतिपूर्व ढंग से हल करने के तरीके और साधन हैं। केवल एक चीज आवश्यक है कि हमें खुले दिमाग से बातचीत करनी चाहिए और अदालतों में जाने से बचना चाहिए।

इन पाठ में आपने विकल्प विवाद निपटारा पद्धति के तरीकों जैसे विवाचन, समझौता, मध्यस्थता, बातचीत और लोक अदालत के बारे में पढ़ा है।

पाठगत प्रश्न 15.4

1. 'विवाचन समझौते' को पारिभाषित कीजिए।
2. तुम 20 वर्ष के हो या 18 वर्ष के, इसका निर्णय तीन विवाचकों के पेनल द्वारा ही किया जा सकता है? (गलत/सही)
3. 'जितनी जल्दी संभव हो कार्य पूरा करना' के लिए एक शब्द लिखिए।
4. क्या पंचाट निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी है?
5. मध्यस्थता और समझौते के बीच मूल अंतर क्या है?
6. रिक्त स्थान भरिये :-

   'मध्यस्थता' किसी विवाद को किसी तीसरे निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यक्ति की सहायता से हल करने की प्रक्रिया है, जो पार्टियों को विवाद में ..... समाधान पर पहुंचने में सहायता करता है।
7. लोक अदालत को सबसे पहले कब और कहां से शुरू किया गया?
8. लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है?
9. लोक अदालत आयोजित करने के लिए आवश्यक राशि कौन देता है?
10. लोक अदालतें विकल्प विवाद निपटारा पद्धति में सबसे अधिक लोकप्रिय है। (गलत/ सही)
11. मध्यस्थ विवाचन को संक्षेप में पारिभाषित कीजिए।
12. मेडोला का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
13. मिनि ट्रायल किसी मुकदमे की अधिकृत कार्यवाही से अलग होता है। (गलत/ सही)
14. रिक्त स्थान भरिये :-

    (अ) ..... विकल्प विवाद निपटारा पद्धति में सबसे लोकप्रिय हैं।

    (ब) ..... ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तीसरी पार्टी पार्टियों को अपना विवाद सहमति से निपटाने में सहायता करती है।

    (स) ..... ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पार्टियां अपना विवाद निजी स्तर पर हल कर सकती हैं।
15. लोक अदालतें सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से आयोजित की जाती है जिनकी देखभाल न्यायपालिका करती है।

15.5 विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की भूमिका : विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम (संशोधित) अधिनियम, 1994

संविधान का अनुच्छेद 39-A कहता है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय से केवल गरीब अथवा अन्य अयोग्यता के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति

को न्याय पाने का अधिकार है, भले ही वह किसी भी ढंग से निर्धन हो। संविधान का यह रवैया विभिन्न कानूनी प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से घिरा हुआ है। इनमें से एक है–विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1994 में संशोधित और अब इसे विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधि नियम (संशोधित) 1994 कहते हैं।

यह अधिनियम कानूनी सेवाओं के विस्तृत प्रावधान निर्धारित करता है। लेकिन इसको कुछ कारणों वश लागू नहीं किया जा सका। बाद में 1994 में इसमें अनेक संशोधन किए गए और संशोधित रूप में लागू किया गया।

विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम (संशोधित) 1994 के प्रमुख प्रावधान :-

(a) राष्टीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण का गठन : इस अधिनियम की धारा 3 में कानूनी सेवाएं प्रदान करने, सामाजिक न्याय की दिशा में उपयुक्त कदम उठाने, विवादों का निपटारा, चर्चा, समझौते और मध्यस्थता द्वारा करने, समय-समय पर कानूनी सहायता कार्यक्रम विकसित करने, कानूनी जागरूकता को फैलाने के लिए राष्टीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होगा। इसका एक कार्यवाह अध्यक्ष होगा जिसको भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्टपति नियुक्त करेगा।

(b) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का गठन :

केंद्र की भांति राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण गठित करने की सुविधा प्रदान की गई है। धारा G के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होगा। इसका एक कार्यवाह अध्यक्ष भी होगा जिसको राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा।

राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का मुख्य कर्तव्य कानूनी सहायता प्राप्त करने योग्य लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालत आयोजित करना, कानूनी सहायता कार्यक्रमों को गति प्रदान करना तथा राष्टीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की नीतियों और दिशा-निर्देशों को लागू करना है।

(c) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का गठन :

अधिनियम की धारा 9 प्रत्येक जिले में एक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान करती है। इसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का मुख्य कार्य राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिए कार्यों का निर्वहन, प्रत्येक जिले में लोक अदालतें आयोजित करना, जिले की अनेक विधिक सेवाएं समितियों के बीच तालमेल स्थापित करना तथा कानूनी सहायता कार्यक्रमों को लागू करना होता है।

(d) सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता कमेटी का गठन :

अधिनियम की धारा 3A लोक अदालतों के आयोजनों के लिए तथा सर्वोच्च न्यायालय के लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए पात्र पार्टियों को कानूनी सहायता प्रदान करने

के लिए सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता कमेटी गठित करने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष न्यायाधीश इसका चेयरमैन होता है।

(e) उच्च न्यायालय कानूनी सहायता कमेटी का गठन :

अधिनियम की धारा 8A लोक अदालतों के आयोजनों, उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु पात्र पार्टियों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने हेतु, उच्च न्यायालय कानूनी सहायता कमेटी गठित करने का प्रावधान है।

(f) जिला/ब्लाक विधिक सेवाएं कमेटियों का गठन :

अधिनियम की धारा 11A ब्लाक में विधि संबंधी गतिविधियों में तालमेल स्थापित करने, लोक अदालतें आयोजित करने तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को करने के लिए जिला/ ब्लाक सेवाएं प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान है। इसका अधिकृत चेयरमैन क्षेत्र का वरिष्ठ सिविल जज होता है।

(g) कानूनी सहायता कोरा स्थापित करना :

अधिनियम की धारा 15, 16, 17 क्रमशः राष्टीय विधिक सहायता कोष, राज्य विधिक सहायता कोष और जिला विधिक सहायता कोष स्थापित करने का प्रावधान है जो राष्टीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता प्रदान करने में हुए खर्चों को पूरा करते हैं।

(h) निशुल्क कानूनी सहायता :

जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक्ट की धारा 12 उन लोगों का उल्लेख करती है जो निशुल्क कानूनी सहायता के हकदार हैं।

(i) लोक अदालतें :

इस अधिनियम की मुख्य विशेषता लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा देना है। इस अधिनियम की धारा 19 लोक अदालतों के निर्माण, धारा 20 लोक अदालतों की कार्य प्रणाली, धारा 21 उनके निर्णय और फैसलों का प्रावधान करती है। यह उल्लेखनीय है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी अदालत के फैसले के बराबर होगा।

(j) स्थायी लोक अदालत :

अधिनियम की धारा 22A स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान करती है। यह विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम 2002 का परिणाम है। एक स्थायी लोक अदालत समझौतों के माध्यम से विवाद हल करने का मजबूत और शक्तिशाली माध्यम तथा एक नयी अवधारणा है।

स्थायी लोक अदालत का एक चेयरमैन तथा पांच अन्य सदस्य होते हैं। स्थायी लोक अदालत मुख्यतः लोक कल्याण सेवाओं से संबंधित विवादों को हल करती है।

(k) सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं :

इस अधिनियम की एक बड़ी उपलब्धि सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं संबंधी प्रावधान करना है।

अत: विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 (संशोधित अधिनियम 1994) कानूनी सेवाओं, कानूनी सहायता और लोक अदालतों के संबंध में प्रावधान करता है।

क्रियाकलाप 15.1

अपने जिले की लोक अदालत को देखिए और इसकी कार्य प्रणाली को देखकर अपने विचार लिखिए।

पाठगत प्रश्न 15.5

1. विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम 1994 के मुख्य प्रावधानों की सूची बनाइए।
2. निम्नलिखित को पारिभाषित कीजिए–
   (क) कानूनी सहायता कोष (राशि)
   (ख) निशुल्क कानूनी सहायता

आपने क्या सीखा

विवाचन, प्राचीन भारत में भी लोकप्रिय और प्रचलित था और इनके निर्माण (पंचाट) पंचायतों के फैसले थे जो बाध्यकारी थे।

विकल्प विवाद निपटारा पद्धति (एडीआर) ऐसी प्रणाणी है, जिसमें विवाद हल करने के ऐसे तरीके हैं जो अदालती मुकदमों का विकल्प हैं। एडीआर व्यवस्था की प्रक्रियाएं ऐसे निर्णय हैं जिसमें मुकदमे (अभियोजन) को शामिल नहीं किया जाता। भारत में अब विवाद से जुड़ी पार्टियों के लिए एक विकल्प व्यवस्था उपलब्ध है (जिसमें विवाचन, समझौता, मध्यस्थता, बातचीत और लोक अदालतें इत्यादि सम्मिलित हैं।

विवाचन संबंधी संस्थाए भीड़भरी अदालतों के बाहर दीवानी विवादों को हल करने हेतु विकल्प विवाद निपटारे की सेवाएं शीघ्र, कम खर्चीला और सहमत हल प्रदान करती हैं। एडीआर विवाद ग्रस्त पार्टियों के बीच संवाद को बढ़ाती है तथा उन्हें अपने विवाद हल करने योग्य बनाता है।

विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 (संशोधित) 1994 राष्टीय विधिक सेवाएं प्राधि करण, राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता कमेटी, उच्च न्यायालय कानूनी सहायता कमेटी, जिला/ ब्लाक कानूनी सहायता कमेटी, कानूनी सहायता कोष स्थापित करने और निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के महत्वपूर्ण प्रावधान करता है।

यह अधिनियम लोक अदालतों को वैधानिक ऊर्जा प्रदान करता है और सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के संबंध में भी प्रावधान करता है।

पाठांत प्रश्न

1. विकल्प विवाद निपटारा पद्धति की क्या आवश्यकता है?
2. विकल्प विवाद निपटारा पद्धति के क्या लाभ हैं?
3. विकल्प विवाद निपटारा पद्धति की अन्य तकनीकों की सूची बनाइए।
4. विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) 1994 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
5. भारत में विकल्प विवाद निपटारा पद्धति के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
6. निम्नलिखित को पारिभाषित कीजिए–
   (क) स्थायी लोक अदालत
   (ख) सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं
   (ग) राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण
   (घ) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

15.1 और 15.2

1. वर्तमान न्यायिक व्यवस्था बहुत महंगी और देर करने वाली है। अदालतों द्वारा मुकदमों को इस लंबी और खर्चीली प्रक्रिया ने आम आदमी का न्यायिक व्यवस्था में विश्वास कम किया है और इसने विकल्प विवाद निपटारा पद्धति को जन्म दिया। एडीआर शीघ्र और सस्ता न्याय प्रदान करती है।
2. एडीआर विवाद हल करने के उन तरीकों को कहते है जो अदालती मुकदमों का विकल्प प्रदान करते हैं।

3.उपभोक्ता शिकायतें, पारिवारिक विवाद, संपति विवाद, निर्माण विवाद और व्यापारिक विवाद

15.3

1. प्राचीन काल में 'विवाचन' एडीआर का बहुत लोकप्रिय और प्रचलित रूप था।
2. एडीआर का विस्तृत रूप है 'आल्टरनेट डिस्ट्यूट रिजोल्यूशन'।
3. अभियोजन का अर्थ है अदालत में मुकदमा लड़ना।
4. वस्तु की गुणवत्ता से जुड़े विवाद, व्यापार में सांझेदारी, व्यापार, वाणिज्यिक संपति का किराया, उपभोक्ता विवाद और अन्य कई छोटे विवाद एडीआर के माध्यम से हल किए जा सकते हैं।

5. पार्टियों को लागू होने वाले कानून को चुनने की स्वतंत्रता है। उन्हें किसी भी तरीके और पार्टियों द्वारा सहमत भाषा में चलाया जा सकता है। मामले को कुछ ही बैठकों में सुलझाया जा सकता है जिससे खर्च कम होता है। कोई अदालती फीस नहीं देनी पड़ती। कार्यवाही और रिपोर्टों की प्रतियां लेने में खर्च नहीं करना पड़ता। वे बैठकों के लिए समय और स्थान चुन सकते हैं। एडीआर शीघ्र और सस्ता न्याय प्रदान करता है।
6. उत्तर-पूर्व भारत के सात राज्य गुवाहटी उच्च न्यायालय के आधीन हैं।

15.4

1. 'विवाचन समझौता' उस समझौते को कहते हैं विवादों में फंसे जहां दो या दो अधिक व्यक्ति सहमत हो जाते हैं कि एक निष्पक्ष व्यक्ति उनके विवाद को हल कर सकता है और वे उसके निर्णय को मानेंगे।
2. नहीं, आयु के प्रश्न पर केवल अदालत निर्णय कर सकती है।
3. शीघ्रता
4. हां, विवाचक निर्णय (पंचाट) पार्टियों पर बाध्यकारी होता है।
5. मध्यस्थता और समझौते में आधारभूत अंतर यह है कि मध्यस्थ विवाद के गुण-दोष पर अपना विचार व्यक्त नहीं करता। दूसरी ओर समझौता कर9वाने वाला विवाद के गुण-दोष पर पार्टियों को अपनी राय अभिव्यक्त करता है।
6. बातचीत करके।
7. लोक अदालत प्रारंभ में गुजरात में 1982 में शुरू की गई थीं।
8. लोक अदालतों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित पड़े मामलों के बोझ को कम करना है, जो बहुत ही हल्के मामले हैं।
9. लोक अदालतों के लिए राशि सरकार देती है।
10. सत्य।
11. Med-Arbitration मध्यस्थ विवाचन एक ऐसा तरीका है जो आर्बिट्रेशन एक्ट से संचालित होता है और इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। विवाद ग्रस्त पार्टियों द्वारा आधिकृत व्यक्ति को विवाद सौंप दिया जाता है और आधिकृत तीसरी पार्टी द्वारा निर्णय दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकारी होता है।
12. मेडोला एडीआर व्यवस्था की एक अन्य तकनीक है। जब किसी विवाचक (पंच) द्वारा समझौते पर पहुंचना संभव नहीं होता तो मेडोला का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा तरीका है जिसमें बातचीत करने वाला व्यक्ति विवाचक का स्थान लेता है और निष्पक्ष भाव से काम करता है। ऐसा व्यक्ति चर्चा के दौरान किसी बीच के रास्ते तक पहुंचने की कोशिश करता है जिससे विवाद ग्रस्त पार्टियों के बीच सहमति हो सके। यह विवाद से जुड़ी पार्टियों पर बाध्यकारी होता है।

13. सत्य

14. (क) लोक अदालत

(ख) समझौता

(ग) विवाचन

15. (क) सत्य

(ख) सत्य

15.5

1. (क) राष्टीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण का गठन

(ख) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का गठन

(ग) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का गठन

(घ) सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता कमेटी का गठन

(ड़) उच्च न्यायालय कानूनी सहायता कमेटी का गठन

(च) जिला/ ब्लाक न्यायालय कानूनी सहायता कमेटी का गठन

(छ) कानूनी सहायता कोष (राशि) की स्थापना

(ज) निशुल्क कानूनी सहायता

(ञ) लोक अदालत

2. (क) कानूनी सहायता कोष ' विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम 1994 समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए निशुल्क कानूनी सहायता कोष गठित करने का प्रावधान करता है।

(ख) निशुल्क कानूनी सहायता : विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम 1994 समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।